समग्र ग्रामीण विकास हेतु सघन सहभागी नियोजन प्रक्रिया

(Partcipatory Planning for Holistic Rural Development)

सघन सहभाागी नियोजन के आयाम

प्रकाशक

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान

बख्शी का तालाब, लखनऊ

समग्र ग्रामीण विकास हेतु सघन सहभागी नियोजन प्रक्रिया

(Partcipatory Planning for Holistic Rural Development)

प्रकाशक

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान

बख्शी का तालाब, लखनऊ

सहभागी नियोजन क्या है ?

चिन्हित ग्रामीण जनों व गॉव स्तरीय कार्मिकों द्वारा मिलकर गॉव / मजरा / मुहल्लें में जाकर गॉव की परिस्थितियों और समस्याओं को समझकर ग्रामीणों की जरुरत और प्राथमिकताओं के हिसाब से गॉव के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यो को नियोजित करने को ही सहभागी नियोजन कहते है।

सहभागी नियोजन अभ्यास क्यों ?

ग्रामीण जन अपनी परिस्थितियों को बाहरी व्यक्ति की अपेक्षा बेहतर ढंग से समझते हैं। समस्या क्या है, उस समस्या के समाधान हेतु उन्हें क्या करना है इसे वे अच्छी तरह से समझते हैं। यदि उन्हें अवसर दिया जाये तो वे अपने गॉव के विकास के लिये कार्यो को अपनी जरुरत और प्राथमिकताओं के हिसाब से नियोजित कर सकते हैं। इससे ग्रामीणों तथा सरकारी मशीनरी के बीच की खाई पट जायेगी जिसका लाभ ग्रामीण समुदाय को मिलेगा।

सहभागी नियोजन की विशेषताएं क्या हैं ?

यह गॉव के विकास हेतु कार्यों के नियोजन की एक विधि है, जिसमें ग्रामीण जन, स्वयं सहायता समूहों, युवा ,मजदूरों के प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि व उनके लिये कार्य करने वाले विभाग तथा जन सेवा में लगी संस्थायें एक टीम के रुप में मिलकर गॉव की परिस्थितियों व स्थिति को समझकर अपने गॉव में कराये जा सकने वाले कार्यों की एक सूची तैयार करेंगे। इसमें कार्यो की वरीयता का निर्धारण गॉव वाले ही करेंगे ।

सहभागी नियोजन के क्या-क्या लाभ हैं ?

- इससे ग्रामीण समुदाय को अपनी स्थिति को समझने, समस्याओं के समाधान व अपने अधिकारों और हकों की चेतना आयेगी, जिससे वे अपने विकास के लिये गतिशील होंगे / आगे आयेंगे।
- नियोजन प्रकिया में ग्रामीणों का हस्तक्षेप या दखलन्दाजी बढ़ेगी जिससे वे अपने विकास की आवश्यकताओं को सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से चिन्हित कर पायेंगें।
- कहॉ तक लाभ मिलेगा, कम लागत से अधिक लाभ कैसे मिलेगा के बारे में ग्रामीण अपनी राय दे सकेंगे, प्राथमिकता के मापदण्ड व मानक तय करनें में वे प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। ग्रामीणों की भूमिका बढ़ेगी।
- ग्रामीण समुदाय द्वारा आसानी से अपनायी जा सकने वाली तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्रामीणों में विश्वास व समझ पैदा करने तथा उनके हृदय में स्थान बनाने में सहायता मिलगी। सरकारी मशीनरी व ग्रामीणों के बीच की दूरी कम होगी।

- परियोजना प्रस्ताव में समालोचना, पुनर्विचार व मत देने के अवसर बढ़ने के कारण पारदर्शिता / खुलापन बढ़ेगा, जिससे सामूहिक निर्णय लेना आसान होगा।
- इसमें सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की आवाज को महत्व देने के कारण नियोजन प्रक्रिया में उनकी कमजोर आवाज भी सुनाई पड़ेगी ।
- ग्रामीणों की सहभागिता नियोजन के साथ–साथ योजना के क्रियान्वयन, उसकी समीक्षा व जनसुनवाई आदि में भी होगी।
- ग्रामीणों की आकांक्षा के अनुरुप नियोजन होगा जिससे वे आगे चलकर संसाधन व्यक्ति तथा नेतृत्व प्रदान करने के लिये आगे आयेंगे।
- योजना के विभिन्न चरणों में समुदाय का नियंत्रण बढ़ेगा तथा उनमें अपनेपन की भावना का विकास भी होगा।
- निर्णय में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़नें से परियोजनायें अधिक टिकाऊ होंगी।

सहभागी नियोजन हेतु क्या–क्या करना है?

- गॉव के किसी जिम्मेदार कर्मी को सहभागी नियोजन की जिम्मेदारी सौंपना।
- प्लानिंग टीम की पहचान करना।
- प्लानिंग टीम द्वारा सघन सहभागी नियोजन कार्य निर्धारित गॉव / मजरा / वार्ड या मुहल्ले में किया जायेगा।
- गॉव / मजरा / वार्ड / मुहल्ले में घर–घर जाकर सर्वेक्षण कार्य किया जाये।
- सघन सहभागी नियोजन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में रखा जायेगा।

सहभागी नियोजन की चरणबद्ध प्रक्रिया

पहला चरण –

1. गॉव में बैठक
2. जिम्मेदार कर्मचारी के साथ ग्राम स्तरीय कार्मिकों की एक बैठक आहूत की जायेगी।
3. इस बैठक में जिम्मेदारियों का विभाजन किया जायेगा तथा प्लानिंग टीम के सदस्य चिन्हित किये जायेंगे।
4. चिन्हित कार्मिकों व प्लानिंग टीम के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
5. ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्यों व ग्राम स्तरीय समुदाय आधारित संगठनों के कार्मिकों के साथ बैठक कर गॉव में सहभागी नियोजन के

स्वरूप को अन्तिम रूप देना।

6. ग्राम पंचायत का भ्रमण–सहभागी नियोजन टीम द्वारा सहयोग प्राप्त करने वास्ते ग्राम/मजरा/मुहल्लावार सम्पर्क व्यक्ति की पहचान की जायेगी।

दूसरा चरण– सहभागी ग्रामीण आंकलन (पी0आर0ए0) विधि से समुदाय को समझना

- मुहल्ला/मजरा/ग्राम स्तर पर खुली बैठक की जायेगी।
- गांव में सामाजिक मानचित्रण, सुविधा मानचित्रण, संसाधन मानचित्रण, ट्रान्जेक्ट वाक, ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के आंकलन हेतु घर–घर सर्वेक्षण, मौसमी विश्लेषण व समस्या विश्लेषण हेतु अभ्यास व चर्चा कार्य किया जायेगा। इसमें निम्नांकित क्रियाकलाप सम्मिलित होंगेः–

1. **घर–घर संम्पर्क –** गांव में पहुंचते ही किससे मिलें, क्या करें आदि सवालों का उठना स्वाभाविक है। गॉवों में आपसी रंजिश और पार्टी बंदी का भी होना स्वाभाविक है। सहभागी नियोजन टीम के ऊपर गॉव के सभी लोगो की निगाहें रहती हैं, अगर पहला सम्पर्क ही कहीं किसी गलत आदमी (जिसे लोग पंसद नहीं करते) के साथ हो गया और उसका ठप्पा टीम के ऊपर लग गया तो यह कार्यक्रम सहभागी कार्यक्रम नहीं रह जायेगा। अतः पी.आर.ए. कार्यकर्ता के रूप में किनसे मिले इस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

2. सामाजिक एकजुटता और माहौल तैयार करने के लिए क्रिया–कलाप

माहौल तैयार करने और सामाजिक एकजुटता के लिए टीम को ग्राम पचांयत और ग्रामीणों से सहयोग लेना चाहिए । इस हेतु प्रमुख क्रियाकलाप निम्न हो सकते हैं।

क. ग्रामीण के समूहों यथा–महिला सभा व बाल सभा आदि के साथ चर्चा।

ख. व्यावसायिक समूहों और स्थानीय संगठनों (युवा क्लबों सहित), के साथ चर्चा।

ग. सांस्कृतिक और खेलकूद समारोहों का आयोजन ।

घ. दीवारों पर लिखाई, शिविर, पदयात्रा, नुक्कड़ नाटक आदि ।

ड. ग्राम नियोजन हेतु चित्रकारी और साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

च. गांव के विकास के लिए अन्यत्र किए गये उत्कृष्ट कार्यो का वीडियो दिखाना।

3. सहभागी नियोजन प्रक्रिया में स्थिति का विश्लेषण

सहभागी नियोजन से पहले स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। स्थिति के विश्लेषण में किसी विशिष्ट (विकासात्मक) समस्या का विश्लेषण किया जाता है और अधिकांश मामलों में यह विश्लेषण किसी क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित होता है।

3.1 स्थिति का भागीदारीपूर्ण विश्लेषण

इसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय समुदाय के सहयोग से कराया जाना चाहिए। इसमें बेसलाइन सर्वे, सोशल मैप, संसाधन मैपिंग एवं नीड्स मैट्रिक्स आदि सम्मिलित है।

3.1.1 बेसलाइन सर्वे : बेस लाइन सर्वे करने हेतु पी0आर0ए0 विधि का प्रयोग करना चाहिए इसमें सबसे पहले गॉव वालों से कैसे वार्तालाप की जाये इसको समझना चाहिए व इसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।

क. ग्रामीणों से वार्तालाप या साक्षात्कार : क्या करें, क्या न करें

क्या करें	क्या न करें
1. साक्षात्कार के लिए मूल प्रश्नों का निर्माण गांव जाने से पूर्व कर लें। 2. अपना स्पष्ट परिचय दें। 3. आरामपूर्वक तथा उत्साही दिखें। 4. टीम के दूसरे सदस्यों को भी सवाल करने का अवसर दें। 5. विषय–वस्तु व प्रसंग पर गम्भीरता से छः मददगारों (क्या, कब, कहां, कौन, क्यों, कैसे) की सहायता से तहकीकात करें। – आप कैसे समझते हैं ? – इसके बारे में कुछ और बतायें – इसके अलावा कुछ ? – लेकिन क्यों ? 6. जवाब को परखते रहें कि यह सत्य, विचार या अफवाह हैं। साक्षात्कार की वैधता को भी आंकलित करते रहें। 7. सूचनादाता की पहचान में विशेष ध्यान रखें। सहभागी नक्शा और सम्पदा वर्गीकरण से	1. समूह में आपसी टोका–टोकी न करें। 2. मार्ग दर्शक प्रश्न न करें। 3. सूचनादाता को रोक–टोक न करें 4. सूचनादाता अगर सूचना देने में हिचकिचा रहा है तो अपनी तरफ से सूचना की आपूर्ति न करें 5. अपने आचरण से अपनी प्रधानता को व्यक्त न होने दें। 6. व्यस्त सूचनादाता से ज्यादा समय न लें। 7. लोगों के द्वारा दिए गये पेय या भोजन के प्रति अनिच्छा या अस्वाद व्यक्त न करें 8. उनके प्रति अविश्वास को शाब्दिक या शारीरिक भाषा से व्यक्त न करें 9. ऐसे सवाल न पूछें जिसमें दो जवाब हों जैसे– क्या

सूचनादाता की पहचान में मदद ली जा सकती हैं 8. खुलेमन से साक्षात्कार के लिए जायें। 9. अपनी टीम की शक्तियों को पहचाने व उनका प्रयोग करें 10. साक्षात्कार के समय व्यवधान के यथोचित समाधान हेतु तत्पर रहें 11. साक्षात्कार के अंत में समुदाय को अवसर देना चाहिए कि वे अपने बचे हुए जवाबों को भी प्रकट कर दें। साक्षात्कार के समय और बाद में विस्तार से साक्षात्कार को लिपिबद्व करें।	आपके गांव में पाठशाला है और आप पढ़ाई से संतुष्ट हैं । 10. सूचनादाता को कभी महसूस न होने दें कि उससे जिरह की जा रही है। 11. दर्शक समूह के समक्ष सूचनादाता से संवेदनशील प्रश्न न पूछें। स्वयं के अवलोकन व निरीक्षण में अपना विश्लेषण न करें

3. सामाजिक मानचित्रण (सोशल मैपिंग)

1. स्थानीय व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा मैप जिसमें विभिन्न श्रेणियों, महत्वपूर्ण संस्थानों भौतिक और सामाजिक अवसंरचनाओं तथा अन्य सुख–सुविधाओं के अनुसार परिवारों को दर्शाया जाता है।
2. गॉव / मजरा / मुहल्लॉ के निवासियों से सम्बन्धित वलनरेबिलिटी की कैटेगरी को प्रतीक चिन्हों व रंगो से दर्शाया जाता है।

गांव में रहने वाले लोगों की जानकारी के आधार पर बनाया गया नक्शा 'सामाजिक मानचित्र' कहलाता हैं । इसमें निम्नांकित को दर्शाया जाना चाहिए :–

- गॉव में कौन–कौन संस्थायें तथा सुविधायें है व कहॉ है?
- सामाजिक समूह यथा– एस0सी0 / एस0टी0, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य गांव के किस भाग में रहते है?
- गरीब परिवारों के आवास कहॉ हैं?
- किन परिवारों में विकलांग हैं?
- अशिक्षित परिवार कौन–कौन से हैं?
- भूमिहीन, लघु व सीमान्त श्रेणी के परिवार कौन से है, व कहॉ रहते है?
- कौन–कौन परिवार श्रमपरक मजदूरी पर निर्भर हैं? कौन से परिवार नियमित रूप से काम की तलाश में शहरों को जाते हैं ?
- महिला मुखिया वाले कौन–कौन परिवार है ? कौन–कौन परिवार वलनरेविल (निःसहाय, वृद्ध अथवा विकलांग) श्रेणी के है?
- कौन–कौन परिसम्पत्तियां पहले से सृजित की गई हैं ?
- गॉव में स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन व अजीविका की स्थिति क्या है?

4. मौसमी चित्रण

मौसम के अनुसार फसलों/सब्जियों, आजीविका, बीमारियॉं, रोजगार आदि में बदलाव होता है। मौसमी चित्रण में इस प्रकार के परिवर्तनों को आसानी से दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आजीविका हेतु कार्यो को कलैन्डर में महीनों व मौसम के अनुसार दर्शाया जा सकता है। इससे प्राप्त सूचनाओं से निश्चित रूप से मौसम के अनुसार श्रम की उपलब्धता की स्थिति का पता चल जायेगा जो नियोजन में उपयोगी होगी। मानव, जानवरो व फसलों रोग /व्याधियों को मौसमी चित्रण में इसी प्रकार दर्शाया जा सकता है। हिन्दी महीने के कलैण्डर बनाना ठीक रहेगा।

- ग्रामीणों के समूह से पूॅछें कि स्थानीय लोग कैसे वर्ष भर कार्य करते हैं?
- मौसमी चित्रण हेतु कृषि श्रम रोजगार, पलायन, मनरेगा कार्य, वनोत्पादन आदि को तालिका में बाईं ओर व महीना दाईं तरफ रखते हैं।
- ग्रामीणों को प्रोत्साहित करें कि वे स्थानीय प्रतीकों, चिन्हों जिन्हें वे जानते हों, को विशेष गुण के लिये कलैण्डर में प्रयोग करें।
- यदि कैलेण्डर जमीन पर बनाया जाये तो पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहता है।
- सामग्री–जो भी उपलब्ध हो यथा कागज, पेन, चाक आदि उसका उपयोग किया जाये।

नीचे एक मौसमी चित्रण का उदाहरण दिया जा रहा है।

आजीविका हेतु मौसमी कैलेण्डर					
धन्धा/माह	कृषि	श्रम रोजगार	काम की तलाश में गॉवों के बाहर जाना	मनरेगा कार्य	वन संसाधन
चैत्र					
बैशाख					
ज्येष्ठ					
आषाढ़					
सावन					
भादौ					
क्वॉर					
कार्तिक					
अगहन					
पूस					
माघ					
फाल्गुन					

5. संसाधन मानचित्रण

इससे गॉव के मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति व उनके विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नियोजन हेतु कार्यों के चयन का आधार गॉव के मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। इस मानचित्र में कृषि योग्य भूमि, उद्यानिकी के अन्तर्गत आने वाली भूमि, वानिकी, चरागाह और स्थानीय उपयोग की अन्य श्रेणियों की भूमि यथा–तालाब, नदी–नालें, नहर, कुएं, बोरवेल व जल निकास के पैटर्न आदि की जानकारी होती है। इस नक्शे में मानवीय संसाधन यथा–किसी विशेष प्रकार की कुशलता के व्यक्तियों की जानकारी भी इससे प्राप्त की जा सकती है।

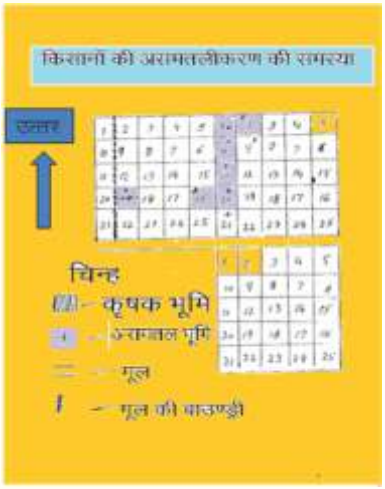

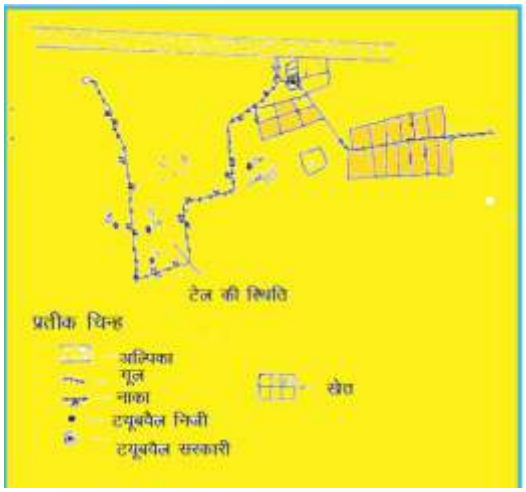

संसाधन मानचित्रण के उदाहरण

संसाधन मानचित्रण के चरण

1. प्रारम्भिक तैयारी

1. गॉव का रेवन्यू मैप की उपलब्धता।
2. गॉव के मानचित्र के कई भागों को जोड़कर गॉव का पूरा मानचित्र तैयार किया जायेगा।
3. संसाधन मानचित्र जमीन पर या पक्की फर्श पर या चार्ट पेपर पर तैयार किया जा सकता है।
4. मानचित्र तैयार करने के लिए गॉव के ऐसे 2–3 लोगों की खोज करनी चाहिए जिन्हें गॉव के रेवन्यू मैप और जमीन की जानकारी हो।

गॉव का मैप तैयार करना

♦ बस्ती के बीच या उपयुक्त स्थान पर एक बैठक मानचित्र तैयार करने के वास्ते आयोजित करनी चाहिए।

♦ इस बैठक में निम्नांकित कार्य करने होंगे। –

अ– गॉव की बाउण्ड्री का रेखांकन।

ब– दिशाओं का चिन्हांकन।

स– मुख्य नदियॉ, नाले या ड्रेनेज प्वाइन्ट तथा प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित परिसम्पत्तियॉ।

द– ड्राइंग को पैचवार रिफाइन या सुधार करना चाहिए।

य– मैप में पट्टा/स्वामित्व भूमि को भी दर्शाना चाहिए।

र– गॉव की भूमि को अच्छी भूमि, मध्यम भूमि, खराब भूमि में विभजित कर लेना चाहिये ।

ल– मैप को जमीन पर रंगोली आदि के माध्यम से बनाना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमियॉ, फसलें,

नदी–नाले व ढाल आदि को दर्शाना चाहिए। बाद में इस मानचित्र को ए–4 साइज पेपर पर उतार लेना चाहिए।

व– गांव के 10–12 पैच में तैयार किये गये छोटे–छोटे मानचित्रों को बड़े मानचित्र में समाहित कर गॉव का सम्पूर्ण मानचित्र तैयार करना चाहिये।

6. ट्रॉजेक्ट वाक्

संसाधन और सोशल मानचित्र से हमें बस्ती के संसाधनों को समझने में सहायता मिलती है, जबकि ट्रॉजेक्ट वाक् बस्ती के संसाधनों की वास्तविक स्थिति को समझने के अवसर प्रदान करता है। ट्रॉजेक्ट वाक् एक तरीके से स्थलीय सत्यापन जैसा है। इसमें मौके पर सामूहिक रूप से पैदल चलकर संसाधनों और परिसम्पत्तियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। ट्रॉजेक्ट वाक् के द्वारा घरों की स्थिति, शौचालय, प्राकृतिक संसाधन सुविधाओं को मौके पर देखा जाता है।

गॉव के बाहर कृषि भूमि के ट्रॉजेक्ट वाक् के लिए गॉव के एक छोर से दूसरे छोर को जाते हैं और उससे भूमि उपयोग, जल निकास, भूमि की गुणवत्ता व भूमि की किस्म आदि को कागज पर अंकित करते जाते हैं।

ट्रॉजेक्ट वाक् हेतु सामग्री और समय

एक गॉव के ट्रॉजेक्ट वाक् में 2–3 घण्टे लगते हैं। ट्रॉजेक्ट वाक् हेतु एक चार्ट पेपर, मार्कर, नोटबुक, पेन आदि की आवश्यकता होती है जिससे पैदल चलते हुए ग्रामीणों के साथ हो रही परिचर्चा को

अंकित किया जा सके और बाद में उसका चित्रण भी किया जा सके। ट्रॅाजेक्ट वाक के समय निम्नांकित सूची टीम के पास होनी चाहिये

- जाब कार्ड धारकों की सूची ।
- जनगणना के सभी परिवारों की सूची ।
- बी0पी0एल0 परिवारों की सूची।
- अन्त्योदय परिवारों की सूची ।
- वृद्धावस्था के लाभार्थी, विधवा पेन्शन, व विकलांग पेन्शन के लाभार्थियों की सूची ।
- पिछले 10 वर्षों के इन्दिरा आवास के लाभार्थियों की सूची।

7. घर–घर जाकर सर्वेक्षण

प्रत्येक घर मे जाकर सर्वेक्षण कार्य किया जाना है ताकि पूरे गॉव की सामाजिक –आर्थिक स्थिति का पूर्ण आंकलन किया सके।

8. गांव की आवश्यकताओं का निर्धारण या नीड्स मैट्रिक्स – यह गांव की सामूहिक आवश्यकताओं के विवेकपूर्ण मूल्यांकन और उनकी प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न वर्गो के स्थानीय परिवारों को शामिल करके तैयार किया जाता है। आवश्कताओं का निर्धारण प्रकिया के दो चरण होते है। पहला चरण विभिन्न स्टेक होल्डरों विशेष रूप से स्व–सहायता समूहों और कृषक समूहों से विचार विमर्श तथा दूसरे चरण में ग्राम सभा से विचार–विमर्श करके सर्वसम्पत्ति से आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण करना चाहिये।

9. नियोजन हेतु कार्यो के वरीयता क्रम का निर्धारण

1–सामाजिक मानचित्रण, सुविधा मानचित्रण, संसाधन मानचित्रण, ट्रान्जेक्टवाक, ग्रामीण परिवार के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की पहचान हेतु पारिवारिक सर्वेक्षण, मौसमी विश्लेषण एवं समुदाय के साथ चर्चा करके विकास कार्यों की पहचान की जायेगी। मुहल्ला/मजरा/ गॉव स्तर पर चिन्हित कार्यों का वरीयताक्रम तय किया जायेगा।

9. सहभागी नियोजन की कार्यनीति तैयार करना –

बेसलाइन सर्वे और अन्य विधियों से लिए गए आंकड़ों के आधार पर एक कार्यनीति तैयार की जानी चाहिये। स्टेक होल्डरों का एक चुनिंदा समूह, अधिकारी और विशेषज्ञ कार्यनीति के लिये परामर्श दे सकते है।

10. ग्राम विकास योजना (वी0डी0पी0) – एक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम विकास योजना स्थानीय संदर्भ, सम्भावनाओं और जरूरतों के आधार पर तैयार की जानी चाहिये, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में वृद्धि करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

वी0डी0पी0 में समय–सीमाओं के साथ–साथ अपेक्षित आउटपुट और परिणामों का उल्लेख किया जाना चाहिए। वी0डी0पी0 का प्रारूप चर्चा और मंजूरी के लिए ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। वी0डी0पी0 में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, एक वर्ष तथा आगे के तिमाहियों में क्या–क्या कार्य किये जाने हैं, को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

11. ग्राम विकास योजना (वी0डी0पी0) का अनुमोदन – नेतृत्व एवं विशेषज्ञों की टिप्पणियों और सलाहों पर विधिवत रूप से विचार करते हुए ग्राम सभा में वी0डी0पी0 का अनुमोदन किया जाना चाहिए।

12. पारदर्शिता सुनिश्चित करना – अनुमोदित योजना के वास्तविक और वित्तीय पहलुओं तथा अपेक्षित निष्पादनों एवं परिणामों सहित उसकी सभी प्रक्रियाओं एवं घटकों का ब्यौरा स्वयंमेव प्रकट किया जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। इससे संदेहों पर रोक लगेगी और वी0डी0पी0 को टिकाऊ स्वरूप प्राप्त होगा।

13. ग्रामीण विकास योजना के लिए संसाधन जुटाना – समग्र ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का पता लगाया जाना चाहिये। संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से योजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. पूर्णरूप से आबद्ध योजनाएं–केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाएं जैसे– आई0ए0वाई0, पी0एम0जी0एस0वाई0 इत्यादि ।

ख. वे संसाधन जो आंशिक रूप से आबद्ध हैं और जिनके उपयोग में लचीलापन है जैसे– एम0जी0एन0आर0ई0जी0एस0, आर0के0वी0वाई0, एन0आर0एल0एम0, एन0एच0एम0, एस0एस0ए0 इत्यादि ।

ग. व्यापक रूप से अनाबद्ध संसाधनों जैसे– बी0आर0जी0एफ0, एम0पी0एल0ए0डी0एस0 इत्यादि जो आवश्यकतानुसार गम्भीर कमियों को दूर करने में अत्यधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। विधायकों की सहमति से स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की भी सहायता ली जा सकती है।

घ. ग्राम पंचायतों के पूर्ण रूप से अनाबद्ध संसाधन जैसे– स्वयं का राजस्व, केन्द्रिय एवं राज्य वित्त

आयोग अनुदान इत्यादि ।

ड. वे संसाधन जिन्हें स्थानीय स्तर पर नकद, समान एवं श्रम के रूप में जुटाया जा सकता है।

च. सी0एस0आर0 (कॉरपोरेट सोशल रेस्पान्सिबिलिटी) निधियां ।

14. सहभागी नियोजन को सुगम बनाने के लिये प्रयोग की जा सकने वाली प्रौद्यागिकी

1. **स्पेस एप्लिकेशन और रिमोट सेन्सिंग** : इसका प्रयोग कार्यक्रमों की नियोजन और निगरानी में किया जा सकता है। परिसम्पत्तियों की मैपिंग जी0आई0एस0 से की जा सकती है। इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता उ0प्र0 राज्य रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी से प्राप्त की जा सकती है।

2. **मोबाइल आधारित प्रौद्योगिकियां** : इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग जियो–टैगिंग के जरिए कार्यक्रमों की निगरानी के लिए किया जा सकता है।

3. **कृषि सम्बन्धी प्रौद्योगिकियां और नये उपाय** : स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र से इन प्रौद्यागिकियों एवं नए उपायों को प्राप्त कर उनसे उत्पादन और उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की जा सकती है।

4. **आजीविका सम्बन्धी प्रौद्योगिकियां और नये उपाय** : इन्हें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा कौशल मिशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

5. **भवन निर्माण की उपयुक्त प्रौद्योगिकियां** : स्थानीय सामग्री और डिजाइनों से निर्माण कार्य करने वाले विशेषज्ञ संगठनों की सहायता से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है।

6. **सड़क निर्माण प्रौद्योगिकियां** : इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय सड़क विकास एजेन्सी से प्राप्त किया जा सकता है।

7. **जलापूर्ति और स्वच्छता सम्बन्धी प्रौद्योगिकियां** : पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय तथा राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त किया जा सकता है।

15. गावों के सर्वांगीण विकास हेतु डवटेल की जा सकने योग्य केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं

अ–केन्द्र सरकार की योजनाए

क्र स	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य / लक्ष्य	नोडल मंत्रालय
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHM)	ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
2	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS)	0–6 वर्ष के बच्चों का पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर बढ़ाना	महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय
3	स्वच्छ भारत मिशन	2 अक्टूबर, 2019 तक 'स्वच्छ भारत' लक्ष्य की प्राप्ति	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग / मंत्रालय
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रूपये तक वार्षिक लागत वाले विकास कार्यों को करने का सुझाव जिलाधिकारी को दे सकते हैं	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
5	नेहरू युवक केन्द्र संगठन (NYKS)	राष्ट्र निर्माण में ग्रामीण नवयुवकों की सहभागिता बढ़ाना तथा उनके पर्सनालिटी एवं स्किल डेवलपमेन्ट का अवसर उपलब्ध कराना	युवा एवं खेल मंत्रालय
6	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MGNREGA)	इच्छुक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन की मजदूरी उपलब्ध कराते हुए रोजगार गारण्टी प्रदान करना	ग्रामीण विकास मंत्रालय
7	शिक्षा का अधिकार / सर्व शिक्षा अभियान (SSA)	सभी को प्रारम्भिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराना	मानव संसाधन मंत्रालय
8	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)	सेकेन्ड्री स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सभी सेकेन्ड्री विद्यालयों में निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना, लिंग–भेद, सामाजिक, आर्थिक अक्षमता एवं रूकावटों को दूर करना एवं 2017 तक सभी को सेकेन्ड्री लेवल तक की शिक्षा सुलभ कराना	मानव संसाधन मंत्रालय
9	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM)	15–35 आयु वर्ग के सभी निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना	मानव संसाधन मंत्रालय
10	राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना (NCLP)	खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले बच्चों का पुनर्वास	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
11	कृषि मंत्रालय की योजनाएं	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय औद्यानिकी मिशन, टिकाऊ कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMSA)	कृषि मंत्रालय
12	पशुपालन एवं डेयरी योजना	पशुपालन एवं डेयरी योजनाएं	पशुपालन डेयरी तथा मत्स्य विभाग

13	लघु, सूक्ष्म एवं ग्रामीण उद्योग तथा वस्त्र उद्योग की योजनाएं (MSME&TMS)	परम्परागत उद्योगों का पुनरोद्धार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता एवं राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	लघु, सूक्ष्म एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय तथा वस्त्र उद्योग मंत्रालय / विभाग
14	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)	प्रभावी एवं सक्षम संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता के माध्यम से परिवारों की आमदनी बढ़ाने में मदद करना	ग्रामीण विकास मंत्रालय
15	प्रधानमंत्री जनधन योजना	'रूपे डेबिट कार्ड' सहित जीरो बैलेंस बैंक खाता एवं रूपये एक लाख तक दुर्घटना बीमा सुविधा	वित्त मंत्रालय
16	प्रतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं परियोजना प्राधिकरण (CAMPA)	प्रतिपूर्ति वनीकरण एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू मदों में प्राप्त धनराशि का प्रबन्धन	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
17	समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP)	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखना	भूमि संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास मंत्रालय
18	इन्दिरा आवास योजना (IAY)	बेघर अथवा अपर्याप्त आवासीय सुविधा वाले गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को सुरक्षित व टिकाऊ घर निर्माण हेतु आर्थिक सहायता	ग्रामीण विकास मंत्रालय
19	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (NRDWD)	ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
20	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	500 तक की आबादी वाले असेवित ग्रामों / बस्तियों को सर्वकालीन सड़कों से जोडना	ग्रामीण विकास मंत्रालय
21	बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड (BRGF)	स्थानीय अवस्थापना विकास एवं अन्य विकास आवश्यकताओं हेतु संसाधनों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति	पंचायतीराज मंत्रालय
22	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन सेवा उपलब्ध कराना	ऊर्जा मंत्रालय
23	एम0एन0आर0ई0 (MNRE)	बायोगैस, सोलर वाटर हीटर इत्यादि सम्बन्धी कार्यक्रम	ऊर्जा मंत्रालय
24	राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA)	ग्राम पंचायत व ग्राम सभाओं की क्षमता व प्रभावशीलता में वृद्धि	पंचायतीराज मंत्रालय
25	राजीव गॉधी खेल अभियान	ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा एवं युवक–युवतियों में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन	युवा एवं खेल मंत्रालय

26	वित्त अनुदान आयोग	लोक उद्देश्यों हेतु वित्तीय सहायता	वित्त मंत्रालय
27	इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कामन सर्विस सेन्टर स्कीम (CSC)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं	इलेक्ट्रिानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
28	राष्ट्रीय आप्टीकल फाईवर नेटवर्क (NOFN)	ग्राम पंचायत स्तर तक आप्टीकल फाइवर केबिल के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी	टेलीकॉम विभाग
29	इन्दिरा गॉधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इन्दिरागॉधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इन्दिरा गॉधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम (IGNOAPS, IGNWPS, IGNDPS)	पात्र वृद्ध, विधवा एवं विकलांग व्यक्तियों को जीवन–यापन हेतु पेंशन उपलब्ध करवाना	ग्रामीण विकास मंत्रालय
30	आम आदमी बीमा योजना	भूमिहीन ग्रामीण व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना (प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000/– रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता पर 75,000/– रूपये)	वित्त मंत्रालय
31	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	पात्र गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना	उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

ब– राज्य सरकार की योजनाएं

क्र.स.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य/लक्ष्य	नोडल मंत्रालय
1	डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना	चयनित ग्राम का समग्र विकास	समग्र ग्राम विकास विभाग उ0प्र0
2	डा0 अम्बडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना	चयनित ग्राम का समग्र विकास	समग्र ग्राम विकास विभाग उ0प्र0
3	नक्सल प्रभ ावित समग्र ग्राम्य विकास योजना	चयनित ग्राम का समग्र विकास	समग्र ग्राम विकास विभाग उ0प्र0

प्रकाशक

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान

बख्शी का तालाब, लखनऊ